(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1099–दो/2014 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 5–3–2014 – पारित आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल – प्र0क्र0 207/2009–10 अपील

मोहम्मद समसुद्दीन पुत्र हाजी जलालुद्दीन
ग्राम खैरहा तहसील सोहागपुर जिला शहडौल ———आवेदक

विरूद्व

1– मोहम्मद असफाक उर्फ लल्ला
पुत्र मुस्ताक अहमद उर्फ मुस्कीम
2– मुस्ताक अहमद उर्फ मुस्तकीम पुत्र
मोहम्मद सत्तार दोनों निवासी ग्राम
ग्राम खैरहा तहसील सोहागपुर जिला शहडौल ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन एंव श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 7–9– 2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 207/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–3–2014 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम खैरहा स्थित भूमि स0क्र0 879/2/1 रकबा 0.48 ए. अनावेदक क्रमांक–2 से क्रय की, जिसके आधार पर म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर नामान्तरण

की मांग की। अति0 तहसीलदार बुढ़ार ने प्रकरण क्रमांक 23 अ—6/08—09 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23—7—09 पारित करके नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने प्रकरण क्रमांक 35/09—10 अपील में पारित आदेश दिनांक 22—3—2010 से तहसीलदार बुढ़ार का आदेश दिनांक 23—7—09 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई / पुर्नजॉच हेतु एंव मुद्रॉक शुल्क वसूली के लिये कलेक्टर आफ स्टाम्प को प्रस्ताव भेजने के लिये वापिस किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 207/2009—10 अपील में पारित आदेश दिनांक 5—3—2014 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर ने आदेश दिनांक 22 मार्च 2010 से अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार के आदेश दिनांक 23—7—09 को इस आधार पर निरस्त किया है कि यदि राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र की बैधता को तथा अर्जित स्वत्वों को संदिग्ध पाते हैं — राजस्व अधिकारी का दायित्व है कि ऐसे नामान्तरण आवेदन को वह खारिज कर दे। अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन के संलग्न विक्रय पत्र में मकान व वृक्षों का उल्लेख नहीं था जिसके कारण केता ने शासन पक्ष में पूर्ण पॅजीयन शुल्क नहीं चुकाया था। मुद्रॉक अधिनियम की धारा 35 में उल्लेख है कि यदि लोक अधिकारी यह समझता है कि शासन पक्ष में पूर्ण पॅजीयन शुल्क नहीं चुकाया गया है, ऐसे दस्तावेज को लोक अधिकारी कलेक्टर आफ स्टाम्प को वसूली हेतु भेजेगा, किंतु अपर तहसीलदार ने इन नियमों की अनदेखी करते हुये केता का त्रृटिपूर्ण आधारों पर नामान्तरण कर दिया,

जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने प्रकरण क्रमांक 35/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–2010 से अति0 तहसीलदार बुढ़ार के आदेश दिनांक 23–7–09 को निरस्त कर प्रकरण पुर्नकार्यवाही हेतु ठीक ही प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 207/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–3–2014 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के प्रत्यावर्तन आदेश के फलस्वरूप तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण क्रमांक 207/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–3–2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर